# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/निस/129 भोपाल, दिनांक 8-2-99

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

विषय:- निस्तार व्यवस्था ।

----0----

दिनांक 17-1-99 को मंत्री परिषद द्वारा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कुछ मा0 मंत्रीगणों ने निस्तार समस्या की ओर मा0 मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था ।

ऐसा लगता है कि निस्तार व्यवस्था के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को कुछ भ्रांतिया है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को शासन द्वारा प्रदत्त निस्तार सुविधाओं के संबंध में सही जानकारी नही है ।

इस संबंध में इस कार्यालय के ज्ञाप क्रमांक 3718 दिनांक 28-5-98 द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई थी । पुनः निस्तार व्यवस्था के संबंध में स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है:-

1- वनों की सीमा से 5 किलोमीटर के अन्तर्गत स्थित गांवों के ग्रामीणों को पूर्ववत् रियायती दर पर ही वनोपज उपलब्ध करायी जानी है । बल्लियों के संदर्भ में दर की परिगणना 50 प्रतिशत रायल्टी में वास्तविक विदोहन व्यय जोड़कर की जायेगी । बांस के लिये निस्तारी दर की परिगणना रू. 0.25 प्रति नग रायल्टी में वास्तविक विदोहन व्यय जोड़कर की जानी है ।

वास्तविक विदोहन व्यय में कटाई थप्पीकरण, परिवहन तथा सुरक्षा व्यय ही जोड़ा जायेगा ।

2- वनो की सीमा से 5 कि.मी. से बाहर वाले गांवों के ग्रामीणें को प्रचलित बाजार भाव पर वनोपज उपलब्ध करायी जाना है । बाजार भाव की परिगणना विगत वर्ष के दरों के आधार पर की जायेगी । जिसके संबंध में मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के पत्र क्रमांक निस्तार/246 दिनांक 17-1-97 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है ।

3- कुछ क्षेत्रीय अधिकारियों को यह भ्रांति है कि 5 किलोमीटर के बाहर स्थित डिपो बंद किये जाने है जो कि सही नहीं है ।

इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के उपरोक्त पत्र दिनांक 17-7-97 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निस्तार डिपो एवं 5 किलोमीटर से बाहर स्थित ग्रामीणों के लिये व्यापारिक डिपो वन संरक्षक आवश्यकतानुसार स्थापित कर सकते है । यही बात इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25-5-98 में दोहराई गई है ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने उनके पत्र क्रमांक निसतार/360-ए दिनांक 19-1-99 द्वारा पुनः वनमंडलाधिकारीयों को निर्देशित किाय है कि जिला पंचायतों से सम्पर्क कर इस बात को सुनिश्चित करें कि कितने डिपों स्थापित करने की आवश्यकता होगी ।

उपरोक्त का स्पष्ट आशय यह है कि 5 किलोमीटर के बाहर क्षेत्र के ग्रामीणों की आवश्यकता व सुविधा की दृष्टि से विभाग द्वारा डिपो खोलने में कोई आपत्ति नहीं है केवल वनोपज बाजार भाव पर दी जायेगी ।

कृपया वनमंडलाधिकारियों की बैठक आयोजित कर इसकी पुनः समीक्षा करें तथा जहॉं इस प्रकार के डिपो खोलने की मांग उठ रहीं है वहॉं डिपो खोले जाये ताकि जनता को निस्तार की कठिनाई न हो ।

4- अब राज्य शासन द्वारा 5 कि.मी. के बाहर स्थित पंचायतों द्वारा फुटकर विक्रेता की नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया जा चुका है ।

इस संदर्भ में आपको यह निर्देशित किया गया है कि इस तथ्य की जानकारी सभी पंचायतों को दें और उन्हें यह स्पष्ट कर दें कि किस पंचायत को किस डिपों से वनोजन प्राप्त होगी । आशा है आपके द्वारा यह कार्यवाही कर ली गई होगी । कृपया वन संरक्षक इसकी पृष्टि मुझे अर्ध शासकीय पत्र द्वारा करें ।

5- आपके द्वारा निस्तार पुस्तिका का प्रकाशन निश्चित रूप से कर दिया गया होगा । अधिकांश वन वृत्तों से निस्तार पुस्तिका प्राप्त हो गई है किन्तु कुछ वृत्तों से अभी भी आना शेष है । कृपया ऐसे वन संरक्षक तत्काल निस्तार पुस्तिका की

एक प्रति मुझे भेजें ।

यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तार पुस्तिका सभी पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों को निश्चित रूप से पहुंच जाये ।

इस संबंध में ऐसा देखने में आया है कि वनमंडलाधिकारीगण अपने परिक्षेत्र अधिकारियों को निस्तार पुस्तिका पंचायतों को देने हेतु भेज देते है । अनेक कारणों से कई बार ये निस्तार पुस्तिकायें पंचायतों को नही पहुंच पाती ।

इस दृष्टि से निर्देशित किया जाता है कि निस्तार पुस्तिका डाक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत/अध्यक्ष जनपद पंचायत/अध्यक्ष जिला पंचायत तथा अध्यक्ष वन समिति जिला पंचायत को भेजी जाये ।

इस संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन मुझे 22-2-99 तक प्रस्तुत करें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल